

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली)  
पीठासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.

दावा  
1/3 / 14

तारीख रजू  
02.01.2014

तारीख निर्णय  
19.06.2018

उनवान

1. मोहरसिंह पुत्र रामसिंह
2. सरूपसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति मेव (मृतक)
  - 2/1 दुर्गा पत्नी स्वरूपसिंह
  - 2/2 नीजर मौहम्मद पुत्र स्वरूपसिंह
  - 2/3 जमशेद पुत्र स्वरूपसिंह
  - 2/4 ऐमना पुत्री स्वरूप सिंह
  - 2/5 नूरी पुत्री स्वरूपसिंह
  - 2/6 निज्जी पुत्री स्वरूपसिंह
  - 2/7 जरीना पुत्री स्वरूपसिंह जातियान मेव निवासियान ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
  - 2/8 मिनर्सी पुत्री हाजरा
  - 2/9 आरीफा पुत्री हाजरा
  - 2/10 फरजाना पुत्री हाजरा
  - 2/11 वशीद अहमद पुत्र हाजरा
  - 2/12 साजिद पत्र हाजरा
  - 2/13 साहिल पुत्र हाजरा
  - 2/14 अरमान पुत्र हाजरा
  - 2/15 अलताप पुत्र हाजरा जातियान मेव निवासियान ग्राम घाटा शमशाबाद तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूँह मेवात हरियाणा
3. अली मौहम्मद पुत्र श्री रामसिंह जाति मेव
4. धोली पुत्री श्री रामसिंह जाति मेव निवासियान मुकन्दबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर महोदय, अलवर राज0।
2. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार रामगढ़।

..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय


वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसर नम्बर 109 रकबा 0.18, 110 रकबा 0.17, 301 रकबा 1.43 हैक्ट0 सालिम, 99 रकबा 0.20, 98 रकबा 0.18, 136 रकबा 0.22, 365 रकबा 0.02, 371 रकबा 0.25, 156 रकबा 0.05, 436 रकबा 0.15, 437

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर) राज0

(2)

रकबा 0.15, 438 रकबा 0.10, 435 रकबा 0.15 हैक्ट0 में 1/2 भाग, 346 रकबा 0.08 हैक्ट0 का 1/3 हिस्सा, 392 रकबा 0.15 हैक्ट0 का 1/4 हिस्सा, 128 रकबा 0.01, 129 रकबा 0.35, 214 रकबा 0.30, 215 रकबा 0.10, 216 रकबा 0.09, 217 रकबा 0.12 हैक्ट0 का 1/6 हिस्सा वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादगण की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा अर्से दराज यानि विगत 40-50 सालों से भी अधिक समय से बदस्तूर चला आ रहा है। मौके पर काबिज है। विवादित आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बर 109, 110, 301 सालिम पर तन्हा वादी सं0 1 ला0 3 का कब्जा काशत चला आ रहा है व ख0 नं0 346 रकबा 0.08 पर वादी सं0 1 का नाम कागजातमाल में मोहरसिंह के बजाय मोहनसिंह दर्ज कर दिया गया है जो गलत है जिसे वादी दुरुस्त कराने का अधिकारी है। आराजी खसरा नम्बर 109, 110, 301 पर तन्हा वादी सं0 1 ला0 3 का कब्जा काशत चला आ रहा है। व खसरा नम्बर 392 पर तन्हा वादी सं0 का व खसरा नम्बर 346 तन्हा वादी सं0 1 ला0 3 का कब्जा मौके पर चला आ रहा है एवं शेष आराजी मुतनाजा पर वादी सं0 1 ला0 4 का कब्जा काशत मौके पर शामिल में चला आ रहा है। विवादित आराजी पर वादीगण क राजस्थान टीनेंसी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही बदस्तूर मौके पर कब्जा काशत चला आ रहा है तथा कानूनन वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित आराजी में हकूक खातेदारी हांसिल हो चुके है। इसलिए वादीगण स्वयं को विवादित आराजी का एडवर्स पजेशन व राजस्व रिकार्ड के आधार पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार काशतकार घोषित कराने के व तदानुसार कागजातमाल में अमल दरामद कराने के कानूनन अधिकारी है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राजात सादिर की जाकर ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 में स्थित आराजी हाल खसर नम्बर 109 रकबा 0.18, 110 रकबा 0.17, 301 रकबा 1.43 हैक्ट0 सालिम का वादी सं0 1 ला0 3 को, 99 रकबा 0.20, 98 रकबा 0.18, 136 रकबा 0.22, 365 रकबा 0.02, 371 रकबा 0.25, 156 रकबा 0.05, 436 रकबा 0.15, 437 रकबा 0.15, 438 रकबा 0.10, 435 रकबा 0.15 हैक्ट0 में 1/2 भाग का वादी सं0 1 ला0 4 को, 346 रकबा 0.08 हैक्ट0 के 1/3 हिस्से का वादी सं0 1 ला0 3 को, 392 रकबा 0.15 हैक्ट0 के 1/4 हिस्सा का वादी सं0 1 मोहरसिंह को, 128 रकबा


  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर) राज0

(3)

0.01, 129 रकबा 0.35, 214 रकबा 0.30, 215 रकबा 0.10, 216 रकबा 0.09, 217 रकबा 0.12 हैक्ट0 के 1/6 हिस्से का वादी सं0 1 ला0 4 के खातेदार काशतकार घोषित किया जावे व खसरा नम्बर 346 रकबा 0.089 हैक्ट0 के 1/9 हिस्से में वादी सं0 1 का नाम मोहनसिंह के स्थान पर मोहरसिंह दर्ज कराया जावें। और तदानुसार कागजातमाल में अमल दरामद कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलबी किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी पर वादीगण के पित रामसिंह सम्वत 2020 बन्दोबस्त अनुसार पटटेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 346 पर वादी सं0 1 का नाम मोहन सिंह है। बन्दोबस्त सम्वत 2058 में दर्ज है। उक्त समस्त विवादित आराजी बन्दोबस्त सम्वत 2020 में वादीगण के पिता के नाम पटटेदार दर्ज है। अतः खातेदार घोषित किया जाना उचित है।


पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में दिनांक 19.06. 2018 को पेश हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि विवादित आराजी वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा अर्से दराज यानि विगत 40-50 सालों से भी अधिक समय से बदस्तूर चला आ रहा है। मौके पर काबिज है। विवादित आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बर 109, 110, 301 सालिम पर तन्हा वादी सं0 1 ला0 3 का कब्जा काशत चला आ रहा है व ख0 नं0 346 रकबा 0.08 पर वादी सं0 1 का नाम कागजातमाल में मोहरसिंह के बजाय मोहनसिंह दर्ज कर दिया गया है जो गलत है जिसे वादी दुरुस्त किया जाना तथा पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक विवादित आराजी पर वादीगण के पित रामसिंह सम्वत 2020 बन्दोबस्त अनुसार पटटेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 346 पर वादी सं0 1 का नाम मोहन सिंह है। बन्दोबस्त सम्वत 2058 में दर्ज है। उक्त समस्त विवादित आराजी बन्दोबस्त सम्वत 2020 में वादीगण के पिता के नाम पटटेदार दर्ज है। अतः वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर) राज्0

(4)

वादीगण का वाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसर नम्बर 109 रकबा 0.18, 110 रकबा 0.17, 301 रकबा 1.43 हैक्ट0 सालिम का वादी सं0 1 ला0 3 को, 99 रकबा 0.20, 98 रकबा 0.18, 136 रकबा 0.22, 365 रकबा 0.02, 371 रकबा 0.25, 156 रकबा 0.05, 436 रकबा 0.15, 437 रकबा 0.15, 438 रकबा 0.10, 435 रकबा 0.15 हैक्ट0 में 1/2 भाग का वादी सं0 1 ला0 4 को, 346 रकबा 0.08 हैक्ट0 के 1/3 हिस्से का वादी सं0 1 ला0 3 को, 392 रकबा 0.15 हैक्ट0 के 1/4 हिस्सा का वादी सं0 1 मोहरसिंह को, 128 रकबा 0.01, 129 रकबा 0.35, 214 रकबा 0.30, 215 रकबा 0.10, 216 रकबा 0.09, 217 रकबा 0.12 हैक्ट0 के 1/6 हिस्से का वादी सं0 1 ला0 4 को वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है, व खसरा नम्बर 346 रकबा 0.08 हैक्ट0 के 1/9 हिस्से में वादी सं0 1 का नाम मोहनसिंह के स्थान पर मोहरसिंह दर्ज कर तदानुसार कागजातमाल में अंकन करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में सुनाया गया।

  
उपलब्ध अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली)  
पीठासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.

दावा  
1/3 / 14

तारीख रजू  
02.01.2014

तारीख निर्णय  
19.06.2018

### उनवान

1. मोहरसिंह पुत्र रामसिंह
2. सरूपसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति मेव (मृतक)
  - 2/1 दुर्गा पत्नी स्वरूपसिंह
  - 2/2 नीजर मौहम्मद पुत्र स्वरूपसिंह
  - 2/3 जमशेद पुत्र स्वरूपसिंह
  - 2/4 ऐमना पुत्री स्वरूप सिंह
  - 2/5 नूरी पुत्री स्वरूपसिंह
  - 2/6 निज्जी पुत्री स्वरूपसिंह
  - 2/7 जरीना पुत्री स्वरूपसिंह जातियान मेव निवासियान ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
  - 2/8 मिनर्सी पुत्री हाजरा
  - 2/9 आरीफा पुत्री हाजरा
  - 2/10 फरजाना पुत्री हाजरा
  - 2/11 वशीद अहमद पुत्र हाजरा
  - 2/12 साजिद पुत्र हाजरा
  - 2/13 साहिल पुत्र हाजरा
  - 2/14 अरमान पुत्र हाजरा
  - 2/15 अलताप पुत्र हाजरा जातियान मेव निवासियान ग्राम घाटा शमशाबाद तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूँह मेवात हरियाणा
3. अली मौहम्मद पुत्र श्री रामसिंह जाति मेव
4. धोली पुत्री श्री रामसिंह जाति मेव निवासियान मुकन्दबास तह0 रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादीगण

### बनाम


1. राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर महोदय, अलवर राज0।
2. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार रामगढ़।

..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

### पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसर

  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर) राज0.

(2)

नम्बर 109 रकबा 0.18, 110 रकबा 0.17, 301 रकबा 1.43 हैक्ट0 सालिम का वादी सं0 1 ला0 3 को, 99 रकबा 0.20, 98 रकबा 0.18, 136 रकबा 0.22, 365 रकबा 0.02, 371 रकबा 0.25, 156 रकबा 0.05, 436 रकबा 0.15, 437 रकबा 0.15, 438 रकबा 0.10, 435 रकबा 0.15 हैक्ट0 में 1/2 भाग का वादी सं0 1 ला0 4 को, 346 रकबा 0.08 हैक्ट0 के 1/3 हिस्से का वादी सं0 1 ला0 3 को, 392 रकबा 0.15 हैक्ट0 के 1/4 हिस्सा का वादी सं0 1 मोहरसिंह को, 128 रकबा 0.01, 129 रकबा 0.35, 214 रकबा 0.30, 215 रकबा 0.10, 216 रकबा 0.09, 217 रकबा 0.12 हैक्ट0 के 1/6 हिस्से का वादी सं0 1 ला0 4 को वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है, व खसरा नम्बर 346 रकबा 0.08 हैक्ट0 के 1/9 हिस्से में वादी सं0 1 का नाम मोहनसिंह के स्थान पर मोहरसिंह दर्ज कर तदानुसार कागजातमाल में अंकन करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्या डिक्री आज दिनांक 19.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ अलवर राज0